पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-29/2024 दिनांक- 27.01.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना पवई

बाल सुधार गृह जनपद मऊ से फरार बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

पूर्व की घटना- दिनांक 12.01.2024 को वादी मुकदमा गौरव कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम रैदा थाना पवई आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी के ट्यूबेल से धनकुट्टी मशीन को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 12/24 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 01 बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया था जिसे पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। बाल अपचारी को मा0 न्यायालय के आदेश पर बाल सुधार गृह जनपद मऊ में निरुद्ध कराया गया था।

➡ दिनांक 18.01.24 को बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष बाल सुधार गृह जनपद मऊ से फरार हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में मु0अ0सं0 23/24 धारा 223/224 भादवि0 पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 27.01.2023 को उ0नि0 बद्रीनाथ मौर्य मय हमराह द्वारा बाल सुधार गृह जनपद मऊ से फरार बाल अपचारी को ग्राम रैदा से समय 08.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 12/2024 धारा 379 भादवि / बढोत्तरी धारा 411 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़।

2.मु0अ0सं0 23/24 धारा 223/224 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ0नि० बद्रीनाथ मौर्य, का0 अनुपम यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना – तरवां

किशोरी को भगाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक- 23.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की भतीजी को रवि चौहान पुत्र रामजीत चौहान ग्राम जगदीशपुर बेलहाडीह थाना तरवां जिला आजमगढ़ अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/24 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्त की नामजदगी गलत है तथा पीडिता को बहला फुसलाकर भगाने में अभियुक्तों 1.रामकीरत चौहान पुत्र रामजीत चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवां आजमगढ़ 2. साहिल पुत्र नसीम अंसारी निवासी घिनहापुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। तथा रवि चौहान पुत्र रामजीत चौहान ग्राम जगदीशपुर बेलहाडीह थाना तरवां जिला आजमगढ़ विवेचना से गलत कर नाम विलोपित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.01.2024 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.रामकीरत चौहान पुत्र रामजीत चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवां आजमगढ़ 2. साहिल पुत्र नसीम अंसारी निवासी घिनहापुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ को रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से समय करीब 4.45 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 27/24 धारा 363/366/376D.A भादवि व 5 (G)/6 पाक्सो एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रामकीरत चौहान पुत्र रामजीत चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवां आजमगढ़

2. साहिल पुत्र नसीम अंसारी निवासी घिनहापुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ को रेलवे स्टेशन आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 विपिन यादव, का0 हर्षित यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़।